(12)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-4
संख्या बी-4-13/दस-2002-6/1965
लखनऊ दिनांक 24 सितम्बर, 2002

कार्यालय ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऋणों एवं अग्रिमों (स्वायत्वशासी निकायों को जल सम्पूर्ति योजना के लिये ऋण को छोड़कर) पर वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिये ब्याज की अन्तिम रूप से प्रभावी दरें निम्नलिखित होंगी :-

क्र. सं.	ऋण की किस्म	ऋण की अवधि	वार्षिक ब्याज की दर (प्रतिशत प्रतिवर्ष)
1	यू.पी.एफ.सी., पिकप, यू.पी.एस.आई.डी.सी., यू.पी. एस.आई.सी. आदि जैसी संस्थायें, जो औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं, को ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	13.00
2	क- सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में मध्यम एवं वृहत् स्तरीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिए ऋण	3 से 5 वर्ष की अवधि तक	15.00
	ख- "क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	13.50
3	(क) सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रों में लघु स्तरीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट के लिए ऋण	3 से 5 वर्ष की अवधि तक	15.00
	(ख) "क" में वर्णित संस्थाओं को कार्यशील पूंजी, अर्थोपाय अग्रिम एवं कैश डेफिसिट से भिन्न ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	13.50
4	लघुत्तर उद्योगों के लिए ऋण	4 वर्ष की अवधि तक 4 वर्ष से अधिक किन्तु 9 वर्ष से अधिक नहीं	10.00 10.50
5	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., उ.प्र.राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उ.प्र. जल विद्युत उत्पादन निगम तथा यू.पी.एस.आर.टी.सी. को ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	13.00
6	उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि., उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उ.प्र.जल विद्युत उत्पादन निगम तथा यू.पी.एस.आर.टी.सी. को ऋण	अर्थोपाय ऋण 3 वर्ष तक	13.00
7	अन्य ऋण	10 वर्ष की अवधि तक	15.00

2- स्वीकृत ऋणों पर देय ब्याज की गणना वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-225 में दिये गये निर्देशों के अनुसार की जायेगी ।

3- जल सम्पूर्ति योजना के लिये ऋणों पर ब्याज की दर निम्नवत् होगी -

(क) विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों के सम्बन्ध में ऋणों पर ब्याज की दर इण्टरनेशनल डेवलपमेन्ट एसोसियेशन तथा राज्य सरकार द्वारा निष्पादित अनुबन्ध के अनुसार की जायेगी ।

(ख) अन्य क्षेत्रों के लिये ऋण पर ब्याज की दर जीवन बीमा निगम से जल सम्पूर्ति योजना के लिये प्राप्त होने वाले ऋणों के लिए प्रचलित ब्याज की दर से समतुल्य होगी ।

4- ब्याज की उक्त दरें प्रभावी (इफेक्टिव) दरें हैं, स्वीकृति आदेशों में व्यय की दरें उपरोक्त प्रभावी दरों में से 3.5 प्रतिशत (साढ़े तीन प्रतिशत) अधिक निर्धारित की जायेगी और उनमें इस आशय की शर्त रहेगी कि नियत समय पर ऋण / ब्याज का प्रतिदान / भुगतान करने की दशा में 3.5 (साढ़े तीन) प्रतिशत की छूट दी जायेगी अर्थात् प्रभावी दर (इफेक्टिव रेट) पर ही ब्याज लिया जायेगा । ऋण / ब्याज का समय से प्रतिदान / भुगतान न होने पर अथवा कोई कालातीत रहने पर ऋण की स्वीकृति के आदेश में निर्धारित दर (प्रभावी दर + 3.5 प्रतिशत) पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी । इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऋण / ब्याज का समय से प्रतिदान / भुगतान करने में वितथ (डिफाल्ट) होने पर स्वीकृत के आदेश में निर्धारित दर पर ही ब्याज देना होगा अर्थात् ब्याज की दर में कोई छूट नहीं दी जायेगी । ब्याज की दण्डात्मक दर मूल राशि और / अथवा ब्याज की अतिदेय किश्तों पर उसकी अदायगी की निश्चित तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि से ठीक पूर्व की तिथि तक लागू होगी ।

5- तकाबी नियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दरों के आदेश पृथक से राजस्व व कृषि विभाग द्वारा निर्गत किये जाते हैं । राज्य कर्मचरियों को दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दरें अलग से निर्धारित की जाती है ।

6- साधारणतया कोई भी ऋण 10 वर्ष से अधिक की प्रतिदान अवधि का नहीं स्वीकृत किया जायेगा किन्तु ऐसे मामलों, जिनमें प्रतिदान की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो, शासन को सन्दर्भित किये जायें । ऋण की प्रतिदान अवधि ऋण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निधारित की जाये और इसे कम से कम अवधि के लिए ही सीमित रखा जाये ।

7- निर्धारित तिथि से पूर्व अदा की गई किसी भी किश्त को पूरी तरह से मूल राशि के लिए ही समझा जायेगा बशर्ते उसके साथ अद्यतन तिथि तक किश्त तक किश्त की वास्तविक अदायगी के लिये देय ब्याज भी हो । अगर ऐसा नहीं है तो किश्त की राशि पहले पूर्ववर्ती और चालू अवधि के लिये देय ब्याज के साथ समायोजिहत की जायेगी । अगर कोई शेष राशि हो तो उसे मूल राशि के साथ प्रयुक्त किया जायेगा । जहाँ किश्त अदायगी निश्चित तिथि से 14 अथवा उससे कम दिन पहले की गई हो ब्याज पूरी अवधि के लिए देय होगा ।

8- यदि किसी योजना पर ब्याज की दर, जो अन्तिम नहीं है अनुच्छेद-1 व 4 में दी गई ब्याज की दरों से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अधिक ब्याज की दर लागू रहेगी ।

9- यदि ऋण की अवधि में संशोधन करके अवधि बढ़ाई जाती है तो ब्याज की दर लम्बी अवधि से समतुल्य होगी मानों ऋण बढ़ी हुई अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था । ऐसे मामलों में जल ऋण की वापसी-अदायगी शुरू हो चुकी हो तो ऋण की अवधि में विस्तार किये जाने की तारीश तक ऋण के बचे भाग पर ब्याज की संशोधित दर लागू होगी ।

10- उन मामलों में जहाँ ऋणों को रियायती दर पर अथवा ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया जाता है, वापसी-अदायगी में कोई चूक पर अथवा ऋण का उपयोग भिन्न प्रयोजन के लिये किये जाने की स्थिति में ऋणों पर सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य दरों पर ब्याज प्रभावी होगा ।

11- यदि किसी मामलें में इस कारण ब्याज रियायती दर पर लिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले साधारण ब्याज की दर के अन्तर के बराबर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है तो ऐसे समस्त मामलें तुरन्त वित्त विभाग को ब्याज दर निर्धारित करने के लिए भेज दिये जाने चाहिए तथा

साथ में भारत सरकार के नवीनतम लिखित आदेश की एक प्रति भी भेजी जानी चाहिए जिसमें ब्याज की दर को सहायतित करने की सहमति प्रदान की गयी हो ।

12- जिन मामलों में राज्य सरकार भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का ऋण उनके ऐजेण्ट के रूप में स्वीकृत करती है और उसमें भारत सरकार की यह शर्त होती है कि अन्तिम ऋण ग्रहीता को एक निर्धारित ब्याज की दर पर ही ऋण दिया जायेगा तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ही लागू रहेगी । इसी प्रकार जहाँ राज्य सरकार द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं (जैसे राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि) से प्राप्त धनराशि से ऋण दिया गया हो तो ब्याज की दर वही होगी जो उस संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिये निर्धारित की गई हो, यदि यह शर्त राज्य सरकार ने मान ली हो ।

13- राजकीय उपक्रम / निगम तथा अन्य राजकीय स्वायत्तशासी संस्थायें, कार्यशील पूंजी सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति अपनी सम्पत्ति (जैसे सामग्री, भण्डार, कच्चा माल, तैयार माल, प्रगति पर चल रहे कार्यो आदि) को बंधक रखकर भारतीय स्टेट बैंक / राष्ट्रीयकृत बैंकों से कर सकते हैं । अत: सहकारी उपक्रमों आदि को सामान्यत: कार्यशील पूंजी के लिये ऋण स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जायेगा । लेकिन यदि विशेष परिस्थितियों में कार्यशील पूंजी हेतु ऋण स्वीकृत किया जाता है तो इस ऋण की अवधि 3 वर्ष से अधिक नही होगी । अर्थोपाय अग्रिमों की वसूली एक वर्ष के अन्दर की जायेगी ।

14- राजकीय निगमों / उपक्रमों के लिये दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-4-3773/दस-6/65, दिनांक 15 फरवरी, 1973 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाये ।

(डा.बी.एम.जोशी)
सचिव ।

शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव

संख्या : बी-4-13(1)/दस-2002-6/1965, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1 समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2 प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
21.2
(आर.के.वर्मा)
विशेष सचिव ।